



2026:AHC:171269

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26605 वर्ष 2026

आकाश

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्ष(गण)

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : अभिषेक पांडे, रमेश कुमार पांडे
विपक्ष(गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 67

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. प्रथम सूचनादाता की ओर से श्री धीरज सिंह द्वारा दाखिल वकालतनामा अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश कुमार पांडेय, प्रथम सूचनादाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री धीरज सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. मोर्य को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन अपराध संख्या 604 वर्ष 2025, धारा 70(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(ज) (ii)/6 के अंतर्गत, थाना नंदग्राम, जनपद गाजियाबाद में पंजीकृत मामले में, विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में आवेदक को झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके विरुद्ध कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 5 माह के विलंब के पश्चात दर्ज की गई है तथा पीड़िता के आचरण और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 180 एवं 183 के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



अंतर्गत दर्ज उसके कथनों के परिशीलन से प्रतीत होता है कि वह सहमति देने वाली पक्षकार थी। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि कक्षा कक्षा छह के प्रमाण-पत्र के अनुसार पीड़िता की आयु 16 वर्ष पाई गई है, जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा है कि पीड़िता ने कक्षा पांचवीं में प्रवेश लिया था, अतः उक्त प्रमाण-पत्र ग्राह्य नहीं है। हालाँकि, हाई स्कूल का कोई प्रमाण-पत्र अथवा उस विद्यालय का कोई प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, जिसमें पीड़िता ने सर्वप्रथम प्रवेश लिया था तथा उसकी आयु निर्धारित करने के लिए कोई रेडियोलॉजिकल परीक्षण नहीं कराया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता गर्भवती पाई गई है तथा आवेदक द्वारा कोई वीडियो अथवा तस्वीर प्रसारित नहीं की गई है और आवेदक के कब्जे से कोई वस्तु बरामद नहीं हुई है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आरोप-पत्र में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का कोई प्रावधान आरोपित नहीं किया गया है तथा आवेदक की आयु 18 वर्ष 5 माह पाई गई है और यह किशोरावस्था का प्रेम एवं सहमति से स्थापित संबंध है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा आवेदक 19.09.2025 से जेल में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, प्रथम सूचनादाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया और उनकी ओर से प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता की आयु लगभग 16 वर्ष है तथा उसकी सहमति का कोई महत्व नहीं है। आगे उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया कि आवेदक ने उक्त घटना का वीडियो बनाया है तथा उसे सह-अभियुक्त सागर को भी प्रसारित किया है और सह-अभियुक्त सागर ने भी उसे अपनी मित्र खुशी को भेजा है।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक द्वारा लगभग 15 वर्ष की आयु की पीड़िता के साथ बलात्कार किया जाना बताया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पीड़िता पांच माह की गर्भवती हो गई। आगे प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 180 के अंतर्गत दर्ज अपने कथन में पीड़िता ने कहा है कि वह पिछले लगभग डेढ़ वर्ष से आवेदक को जानती थी तथा आवेदक की आयु लगभग 18 वर्ष 6 माह है और तत्पश्चात वे एक कैफे में मिले, जहाँ आवेदक एवं सह-अभियुक्त ने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 183 के अंतर्गत दर्ज अपने कथन में पीड़िता ने अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



कहा है कि वह आवेदक के साथ बातचीत करती थी और आवेदक ने विवाह का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक उसे पवन के घर ले गया, जहाँ आवेदक ने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए और तत्पश्चात सह-अभियुक्त ने उसके साथ बलात्कार किया तथा आवेदक ने उक्त घटना का वीडियो भी बनाया। आगे प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 5 माह के विलंब के पश्चात दर्ज की गई है तथा पीड़िता के आचरण और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 180 एवं 183 के अंतर्गत दर्ज उसके कथनों के परिशीलन से प्रतीत होता है कि वह सहमति देने वाली पक्षकार थी। आगे प्रस्तुत किया गया है कि कक्षा छह के प्रमाण-पत्र के अनुसार पीड़िता की आयु 16 वर्ष पाई गई है, जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा है कि पीड़िता ने कक्षा पांच में प्रवेश लिया था, अतः उक्त प्रमाण-पत्र ग्राह्य नहीं है। हालाँकि, हाई स्कूल का कोई प्रमाण-पत्र अथवा उस विद्यालय का कोई प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, जिसमें पीड़िता ने सर्वप्रथम प्रवेश लिया था तथा उसकी आयु निर्धारित करने के लिए कोई रेडियोलॉजिकल परीक्षण नहीं कराया गया है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता की गर्भावस्था को न्यायालय के निर्देश पर समाप्त कर दिया गया बताया गया है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि आरोप-पत्र में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का कोई प्रावधान आरोपित नहीं किया गया है तथा आवेदक की आयु 18 वर्ष 5 माह पाई गई है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा आवेदक 19.09.2025 से जेल में निरुद्ध है।

7. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य एवं अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और जेलों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष दांडिक मामलों की भारी लंबितता को दृष्टिगत रखते हुए, साथ ही **कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, जो 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038 में प्रकाशित है, के निर्देश तथा जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के मामले में दिए गए दिशा-निर्देश, जो 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन इलाहाबाद 6765 में प्रकाशित हैं, को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकृत किया जाता है।**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. आवेदक- अकाश, जो उपर्युक्त अपराध में संलिप्त है, को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए तथा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, विचारण/विवेचना में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि अथवा किसी अपराध के कारित किए जाने में संलिप्त नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

11. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, स्थिति तथा निवास संबंधी प्रमाण का सत्यापन किया जाए। आवेदक तथा जमानतदारों के मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाए।

12. यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु विचारण न्यायालय, जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

13. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि जमानत प्रदान करने की नीति एवं रणनीति, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (दांडिक) संख्या 4 वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2023 को दिए गए निर्णय, जो (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रकाशित है, के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति कारागार अधीक्षक, गाजियाबाद के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल के जरिए 24 घंटे के भीतर आवेदक को भेजे।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

14 अगस्त, 2026

आर.के.एम.

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।